न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 60/2023

वादीनीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीनीगण	प्रतिवादीगण
1. सीतादेवी पुत्री भूराराम पत्नि भूराराम जाति कलबी निवासी बिजलिया तहसील बागोड़ा जिला सांचौर 2. गेरोदेवी पुत्री भूराराम पत्नि चेनाराम जाति कलबी निवासी टूंकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. भूराराम पुत्र चतराराम 2. छगन पुत्री भूराराम 3. अमियोदेवी पत्नि करताराम 4. केवदाराम पुत्र करताराम 5. केहराराम दत्तक पुत्र उमाराम 6. गमनीदेवी पत्नि उमाराम 7. छोगाराम पुत्र रावताराम 8. चैमताराम पत्रु करताराम 9. दुगाराम पुत्र करताराम 10. चम्पादेवी पुत्री करताराम 11. मफरीदेवी पुत्री करताराम 12. नवाराम पुत्र चतराराम 13. पनीदेवी पत्नि रावताराम 14. रतनोदेवी पुत्री उमाराम 15. वगताराम पुत्र रावताराम 16. मोडाराम पुत्र हुकमाराम जातियान कलबी निवासी गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 17. अमिनखान पुत्र गुलाम वयस्क 18. आचार पुत्र दीनू 19. कादर पुत्र दीनू 20. जुमा पुत्र लतीफ 21. दोस्त अली पुत्र गुलाम 22. लालखां पुत्र दीनू 23. शायबा पुत्र लतीफ 24. सकूर पुत्र दीनू 25. सदाम पुत्र लतीफ 26. सुमार पुत्र लतीफ 27. हनीफ पुत्र दीनू जातियान मुसलमान निवासी गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 28. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,40,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1 श्री पाबुराम बेनिवाल , अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।

2. प्रतिवादी सं. 1 से 27 एकतरफा व प्रतिवादी सं. 28 के पैरोकार उप.।.

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक– 11.06.2024

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 के पैतृक एवं प्रतिवादीगण संख्या 17 से 27 की कयरुदा संयुक्त खातेदारी की भूमि जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के ग्राम औरंगाबाद में खेत खसरा संख्या 226, 227 रकबा क्रमशः 4.8864 हैक्टेयर, 1.5614 हैक्टेयर कुल रकबा 6.4478 हैक्टेयर तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 66/9 रकबा 3.0904 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 164, 165, 165/2, 51, 91 रकबा क्रमशः 0.2670 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर, 5.7035 हैक्टेयर, 2.6212 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर कुल रकबा 16.2125 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 152, 152/1, 152/2 रकबा क्रमशः 2.9286 हैक्टेयर, 0.2427 हैक्टेयर, 3.9560 हैक्टेयर कुल रकबा 7.1273 हैक्टेयर की आई हुई है। कि वक्त भू–बन्दोबस्त के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान वादीनीगण के परदादा अणदाराम व दादा चतराराम के नाम जारी हुआ तथा उनके फौत होने पर उनके विधिक उतराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता स्व. चतराराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है तथा जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि ग्राम औरंगाबाद के खसरा संख्या 226, 227 में वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 66/9 में वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 164, 165, 165/2, 51, 91 में वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 152, 152/1, 152/2 में वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/60–1/60 हिस्सा पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा कर अलग अलग काश्त करते है। वक्त सेन्टलमेंट से पूर्व स्व. अणदाराम के कब्जे काश्त की थी तथा वक्त सेन्टलमेंट के समय वादीनीगण के परदादा स्व. अणदाराम व दादा चतराराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ, तथा प्रथम जमाबन्दी (खतौनी) के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के परदादा स्व. अणदाराम व दादा स्व. चतराराम के नाम इन्द्राज हुआ तत्पश्चात् दादा की फौतगी पर वादीनीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण पारित कर राजस्व रेकर्ड में वादीनीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हुआ। वादग्रस्त भूमि पर वादीनीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है इस कारण वादग्रस्त भूमि

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

दीगण की पैतृक एवं शहदायिकी की भूमि है और वादीनीगण अपने परदादा अणदाराम व दादा तराराम की पैतृक भूमि में मिलने वाले हिस्से के प्रथम श्रेणी का विधिक उत्तराधिकारी है और वादीनीगण का सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ पैतृक हिस्सा 1/4-1/4 है और वादीनीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाडा कर काबिज है। भूमि सामलाती होने से वादीगण को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पडता है। इसलिये वादी अपने हिस्से की भूमि बाई मीटस एण्ड बाउण्ड मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाना चाहती है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के ग्राम औरंगाबाद में खेत खसरा संख्या 226, 227 रकबा कमशः 4.8864 हैक्टेयर, 1.5614 हैक्टेयर कुल रकबा 6.4478 हैक्टेयर तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 66/9 रकबा 3.0904 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 164, 165, 165/2, 51, 91 रकबा कमशः 0.2670 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर, 5.7035 हैक्टेयर, 2.6212 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर कुल रकबा 16.2125 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 152, 152/1, 152/2 रकबा कमशः 2.9286 हैक्टेयर , 0.2427 हैक्टेयर, 3.9560 हैक्टेयर कुल रकबा 7.1273 हैक्टेयर की भूमि को बाई मीटस एण्ड बाउण्ड शेष प्रतिवादीगण से बंटवाड़ा कर राजस्व रिकार्ड में अलग से वादी के नाम इन्द्राज की जावें।

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 27 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई।

3.प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू-1 सीतादेवी, पी.डब्लू-2 गेरोदेवी, पी.डब्लू-3 केवदाराम के बयानात करवायें गयें। वादी अधिवक्ता की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श-1 से लगायत प्रदर्श-4 जमाबंदी, प्रदर्श-5 से लगायत प्रदर्श-8 प्रथम जमाबंदी प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-9 से लगायत प्रदर्श-11 नामांतरकरण, प्रदर्श- 12 सीता देवी जनआधार कार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श- 13 सीता देवी आधार कार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श-14 सीता देवी जनआधार कार्ड एक्नोलेजमेंट रिसीप्ट, प्रदर्श-15 गेरो देवी जनआधार कार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श-16 गेरो देवी आधार कार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श-17 गेरो देवी जनआधार कार्ड एक्नोलेजमेंट रिसीप्ट पेश किए गए।

4.वादीनीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीनीगण अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिये कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 के पैतृक एवं प्रतिवादीगण संख्या 17 से 27 की कयसुदा संयुक्त खातेदारी की भूमि जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल

/कलेक्टर
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

गोलिया जीवराज के ग्राम औरंगाबाद में खेत खसरा संख्या 226, 227 रकबा क्रमशः 4.8864 हैक्टेयर, 1.5614 हैक्टेयर कुल रकबा 6.4478 हैक्टेयर तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 66/9 रकबा 3.0904 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 164, 165, 165/2, 51, 91 रकबा क्रमशः 0.2670 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर, 5.7035 हैक्टेयर, 2.6212 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर कुल रकबा 16.2125 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 152, 152/1, 152/2 रकबा क्रमशः 2.9286 हैक्टेयर , 0.2427 हैक्टेयर, 3.9560 हैक्टेयर कुल रकबा 7.1273 हैक्टेयर की आई हुई है। कि वक्त भू-बन्दोबस्त के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान वादीनीगण के परदादा अणदाराम व दादा चतराराम के नाम जारी हुआ तथा उनके फौत होने पर उनके विधिक उतराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता स्व. चतराराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है तथा जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि ग्राम औरंगाबाद के खसरा संख्या 226, 227 में वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/20-1/20 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 66/9 में वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 164, 165, 165/2, 51, 91 में वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/20-1/20 हिस्सा तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 152, 152/1, 152/2 में वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का समान हक हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/60-1/60 हिस्सा पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा कर अलग अलग काश्त करते है। वक्त सेन्टलमेंट से पूर्व स्व. अणदाराम के कब्जे काश्त की थी तथा वक्त सेन्टलमेंट के समय वादीनीगण के परदादा स्व. अणदाराम व दादा चतराराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ, तथा प्रथम जमाबन्दी (खतौनी) के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के परदादा स्व. अणदाराम व दादा स्व. चतराराम के नाम इन्द्राज हुआ तत्पश्चात् दादा की फौतगी पर वादीनीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण पारित कर राजस्व रेकर्ड में वादीनीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हुआ। वादग्रस्त भूमि पर वादीनीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है इस कारण वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक एवं सहदायिकी की भूमि है और वादीनीगण अपने परदादा अणदाराम व दादा चतराराम की पैतृक भूमि में मिलने वाले हिस्से के प्रथम श्रेणी का विधिक उतराधिकारी है और वादीनीगण का सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ पैतृक हिस्सा 1/4-1/4 है और वादीनीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाडा कर काबिज हैं। भूमि सामलाती होने से वादीगण को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो कि पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमांबदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है। वादग्रस्त

Scanned with OKEN Scanner

भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 01 से 27 को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे अदालत को यह प्रतीत होता है,कि वादीनी के वाद को स्वीकार किये जाने की प्रतिवादी की ओर से मौन स्वीकृति है,यदि उक्त प्रतिवादी को वादी के वाद के संबध में उजर एतराज होता तो,न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन प्रतिवादी की ओर से ऐसा नही किया गया। ऐसी सूरत में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5.लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के ग्राम औरंगाबाद में खेत खसरा संख्या 226, 227 रकबा कमशः 4.8864 हैक्टेयर, 1.5614 हैक्टेयर कुल रकबा 6.4478 हैक्टेयर तथा ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 66/9 रकबा 3.0904 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 164, 165, 165/2, 51, 91 रकबा कमशः 0.2670 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर, 5.7035 हैक्टेयर, 2.6212 हैक्टेयर, 3.8104 हैक्टेयर कुल रकबा 16.2125 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 152, 152/1, 152/2 रकबा कमशः 2.9286 हैक्टेयर , 0.2427 हैक्टेयर, 3.9560 हैक्टेयर कुल रकवा 7.1273 हैक्टेयर की भूमि में वादीनीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए ग्राम औरंगाबाद के खसरा संख्या 226, 227 में वादीनीगण प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा, ग्राम गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 66/9 में वादीनीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा खसरा संख्या 164, 165, 165/2, 51, 91 में वादीनीगण प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा एवं खसरा संख्या 152, 152/1, 152/2 में वादीनीगण प्रत्येक का 1/60–1/60 हिस्सा उनकी खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार.राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व वादीनीगण के हक की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner